

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1511

जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना

1511. डॉ. एल. हनुमंतय्या:

श्री राजमणि पटेल:

डॉ. अमी याज्ञिक:

श्री पि. भट्टाचार्य:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- (ग) विगत दो वर्षों के दौरान कितने इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए;
- (घ) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को कोई राज सहायता प्रदान कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

(क) और (ख): जी, हाँ। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन संबंधी उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों के अवधि के लिए मार्च, 2015 में फेम इंडिया योजना के चरण-I को अनुमोदित किया। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद, सरकार ने दिनांक 08 मार्च, 2019 को फेम इंडिया के चरण-II को अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की भी सहायता की जाएगी।

(ग) चूंकि, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक उदारीकृत सेक्टर है, भारी उद्योग विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वाहनों की बिक्री से संबंधित आंकड़े रखना अपेक्षित नहीं है। तथापि, योजना के आरंभ होने से अब तक लगभग ₹359 करोड़ के मांग प्रोत्साहन देकर लगभग 2.8 लाख वाहनों की सहायता की गई है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अनेक शहरों/राज्यों के लिए 425 ई-बसों की भी सहायता की गई है।

(घ) से (ङ): जी, हाँ। फेम इंडिया योजना के चरण-II के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए अथवा ई-तिपहिया, ई-चौपहिया (स्ट्रॉंग हाइब्रिड सहित) सेगमेंट में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तथापि निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-दुपहियों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन बैटरी की क्षमता अर्थात् ₹10,000/ किवा.घंटा से जुड़ा है जो इन वाहनों की 20% लागत की सीमा के अध्यधीन है। मांग प्रोत्साहन सीमित मूल्य से कम मूल्य के वाहनों तक सीमित है जोकि ई-दुपहिया के लिए ₹1.5 लाख, ई-तिपहिया के लिए ₹5 लाख और ई-चौपहिया के लिए ₹15 लाख है।
